5-1-23	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वादी एवं वादी के अभिवक्ता अनुपस्थित रहे। वादी एवं अभिवक्ता, वादी अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को आगे चलाने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 5-1-23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उप जिला कलक्टर लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.13 12:00:31 IST
Reason: SelfAttested